

भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1548
दिनांक 25 जुलाई 2017 के लिए प्रश्न

विषय: पशुपालन, डेयरी, कृषि और मात्स्यिकी को महत्व

1548. श्री हरि मांझी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार का पशुपालन, डेयरी, कृषि और मात्स्यिकी को अधिक महत्व देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि देश के अनेक भागों में अनियमित वर्षा और जल की कमी के कारण मवेशियों की अत्यधिक देखभाल करना आवश्यक हो गया है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सुदर्शन भगत

(क): भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

- I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- II. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
- III. राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I
- IV. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
- V. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
- VI. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण
- VII. नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन
- VIII. पशुधन संगणना
- IX. एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

(ख) और (ग): अनियमित वर्षा और जल की कमी पशुओं में पोषकों/खनिजों की कमी बीमारी के विकास तथा परजीवी संक्रमण में वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। पशुओं पर दबाव के प्रभाव का परिणाम प्रतिरक्षा के घटते स्तर के रूप में होगा जिससे पशु विभिन्न जीवाणु संबंधी रोगों जैसे हैमरेज सेप्टिसेमिया और विषाणु संबंधी रोगों जैसे खुरपका और मुंहपका रोग (एमएमडी) से पीड़ित हो सकता है। भारत सरकार राज्य सरकारों को पशु रोगों के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवातों, भूकंपों तथा मानव जनित आपदाओं आदि के दौरान पशुधन के प्रबंधन हेतु व्यापक दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार की है। डीएमपी में तीन स्तर शामिल हैं- आपदा पूर्व तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया और आपदा पश्चात् योजना। आपदा पूर्व तैयारी में पूर्व चेतावनी के प्रसार से संबंधित सूचना, पशुधन, पशु टीकाकरण, आहार एवं चारे की आपूर्ति के बीच मेल्यता की पहचान तथा आपदा प्रबंधन में विभिन्न पणधारियों का क्षमता निर्माण शामिल है। आपदा प्रतिक्रिया में प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया से संबंधित रणनीति/कार्य योजना, पशुओं का बचाव, पेयजल हेतु व्यवस्था, आहार एवं चारे की आपूर्ति, महामारी और रोगों के खिलाफ उपाय तथा स्वच्छता का रख-रखाव शामिल है। आपदा पश्चात् योजना में बीमार पशुओं के उपचार हेतु रणनीति, रोग की निगरानी, शवों का निस्तारण, पशुधन की बहाली/पुनर्संग्रहण/पुनः संख्या बढ़ाना, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार और देशी नस्लों के संरक्षण की परिकल्पना है।

.....